पधारे हो। पत्रावली पुनः

पेश हो।

30/3/2026

पत्रा। पेश हुई बहस उपरान्त दावा वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

डिकरी व मुकदमा इब्तदाइ

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, नदबई

व इजलास श्री सचिन यादव ,आर.ए.एस

मु0 उ0 रामदयाल बनाम बत्तू बगै.

दावा बाबत् 88, 89, 188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 91/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू .....– व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दठ व ..... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

विवादित आराजी खसरा नं0 170 रकवा 1.42 हैक्टे. वाके ग्राम केसरा तहसील नदबई जिला भरतपुर पर दावा वादीगण आंशिक स्वीकार इस कदर किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नं0 170 रकवा 1.42 हैक्टे. वाके ग्राम केसरा तहसील नदबई के 1/4 हिस्से पर वादीगण संख्या 1 लगायत 3 तथा तर. प्रतिवादी संख्या 25 व 26 तथा 28 संयुक्त को 1/4 हिस्से पर व तर. प्रतिवादी संख्या 15 लगायत 17 एवं 27 को संयुक्त को 1/4 हिस्से पर एवं तर. प्रतिवादीगण संख्या 18 लगायत 20 तथा तर. प्रतिवादी संख्या 22 लगायत 24 व 29 संयुक्त को 1/4 हिस्से पर एवं वादी संख्या 04 तथा तर. प्रतिवादी संख्या 21 तथा 30 संयुक्त को खातेदार घोषित किया जाता है तथा रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 के नाम हो रहे इन्द्राजात को कलमजन किया जाता है एवं वादी द्वारा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने की रिलीफ खारिज की जाती है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

किबेज – मुबलिग ———— बावत ———— खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ————फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक ———— की अदा करें ।

दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 30/03/2026 को जारी की गई ।

मुहरदस्तखत उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज.)

मुद्दई	रूपा	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बावत इजराय हुक्म नामा मुतफर्रिक मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी म्हनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बवत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान		

1. रामदयाल पि. मंगल जाति माली निवासी डौरोली तहसील कदूमर।
2. सीताराम पि. मंगल जाति माली निवासी डौरोली तहसील कदूमर।
3. मंशी पि. मंगल जाति माली निवासी डौरोली तहसील कदूमर।
4. रामेश्वर पि. मंगल जाति माली निवासी डौरोली तहसील कदूमर।

बनाम

1. बल्लू पुत्र देवीराम जाति माली निवासी डौरोली तहसील कदूमर।
2. करन पुत्र देवीराम मृतक
   2/1 विजय पि. करन जाति माली निवासी डौरोली तहसील कदूमर।
   2/2 जोरया पि. करन जाति माली निवासी डौरोली तहसील कदूमर।
   2/3 बजरंग पि. करन जाति माली निवासी डौरोली तहसील कदूमर।
   2/4 दरबो वेवा करन जाति माली निवासी डौरोली तहसील कदूमर।
3. रमेश पुत्र देवीराम जाति माली निवासी डौरोली तहसील कदूमर।
4. कोकिला पुत्री देवीराम जाति माली निवासी डौरोली तहसील कदूमर।
5. रामवती पुत्री देवीराम जाति माली निवासी डौरोली तहसील कदूमर।
6. दरबी पुत्री देवीराम जाति माली निवासी डौरोली तहसील कदूमर।
7. सूखी पुत्री देवीराम जाति माली निवासी डौरोली तहसील कदूमर।
8. सौमौती वेवा हरिकिशन जाति माली निवासी डौरोली तहसील कदूमर।
9. ज्यान सिंह पि. हरिकिशन जाति माली निवासी डौरोली तहसील कदूमर।
10. कलुआ पि0 हरिकिशन जाति माली निवासी डौरोली तहसील कदूमर।
11. रामेश्वर पि0 हरिकिशन जाति माली निवासी डौरोली तहसील कदूमर।
12. किरन देई पुत्री हरिकिशन जाति माली निवासी डौरोली तहसील कदूमर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नदबई।
14. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा थून जरिये शाखा प्रवंधक।
15. भगवत पि0 सरमन जाति माली निवासी डौरोली तहसील कदूमर।
16. लालाराम पि0 सरमन जाति माली निवासी डौरोली तहसील कदूमर।
17. कलुआ उर्फ मवासी पि. सरमन जाति माली निवासी डौरोली तहसील कदूमर।
18. खुशीराम पि0 हीरा जाति माली निवासी डौरोली तहसील कदूमर।
19. शोभाराम पि. हीरा जाति माली निवासी डौरोली तहसील कदूमर।
20. राजाराम पि. हीरा जाति माली निवासी डौरोली तहसील कदूमर।
21. विजय पुत्र भजन जाति माली निवासी डौरोली तहसील कदूमर।
22. जसवंत पि0 सियाराम जाति माली निवासी डौरोली तहसील कदूमर।
23. गोलू पि. सियाराम नावालिग व विलायत माता अतरा वेवा सियाराम जाति माली निवासी ग्राम ग्राम सोखरी तहसील लक्ष्मणगढ।
24. मु0 अतरा वेवा सियाराम जाति माली निवासी डौरोली तहसील कदूमर।
25. बवलू पुत्र बाबूलाल जाति माली निवासी डौरोली तहसील कदूमर।
26. राकेश पुत्र बाबूलाल जाति माली निवासी डौरोली तहसील कदूमर।
27. सरमन पुत्र बाबूलाल मृतक
   27/1 भगवत पुत्र सरमन जाति माली निवासी डौरोली तहसील कदूमर।
   27/2 मवासी पुत्र सरमन जाति माली निवासी डौरोली तहसील कदूमर।
   27/3 लालाराम पुत्र सरमन जाति माली निवासी डौरोली तहसील कदूमर।
   27/4 रामदेवी पुत्री सरमन जाति माली निवासी डौरोली तहसील कदूमर।
   27/5 असर्फी पुत्री सरमन जाति माली निवासी डौरोली तहसील कदूमर।
   27/6 सुनीता पुत्री सरमन जाति माली निवासी डौरोली तहसील कदूमर।
28. मंगल पुत्र बुद्धी जाति माली निवासी डौरोली तहसील कदूमर।
29. हीरालाल पुत्र बुद्धी जाति माली निवासी डौरोली तहसील कदूमर।
30. भजनलाल पुत्र बुद्धी जाति माली निवासी डौरोली तहसील कदूमर।

—असल प्रतिवा

ालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री सचिन यादव R.A.S.)

. 91 / 2018
स नं0 2018 / 00188
वा 88, 89, 188 आर.टी.ए.
दिनांक 30/03/26

रामदयाल पि. मंगल जाति माली निवासी डौरोली तहसील कठूमर।
सीताराम पि. मंगल जाति माली निवासी डौरोली तहसील कठूमर।
. मंशी पि. मंगल जाति माली निवासी डौरोली तहसील कठूमर।
4. रामेश्वर पि. मंगल जाति माली निवासी डौरोली तहसील कठूमर।

—वादीगण

बनाम

बत्तू पुत्र देवीराम जाति माली निवासी डौरोली तहसील कठूमर।
. करन पुत्र देवीराम मृतक
2/1 विजय पि. करन जाति माली निवासी डौरोली तहसील कठूमर।
2/2 जोरया पि. करन जाति माली निवासी डौरोली तहसील कठूमर।
2/3 बजरंग पि. करन जाति माली निवासी डौरोली तहसील कठूमर।
2/4 दरबो वेवा करन जाति माली निवासी डौरोली तहसील कठूमर।
3. रमेश पुत्र देवीराम जाति माली निवासी डौरोली तहसील कठूमर।
4. कोकिला पुत्री देवीराम जाति माली निवासी डौरोली तहसील कठूमर।
5. रामवती पुत्री देवीराम जाति माली निवासी डौरोली तहसील कठूमर।
6. दरबी पुत्री देवीराम जाति माली निवासी डौरोली तहसील कठूमर।
7. सूखी पुत्री देवीराम जाति माली निवासी डौरोली तहसील कठूमर।
8. सौमौती वेवा हरिकिशन जाति माली निवासी डौरोली तहसील कठूमर।
9. ज्वान सिंह पि. हरिकिशन जाति माली निवासी डौरोली तहसील कठूमर।
10. कलुआ पि0 हरिकिशन जाति माली निवासी डौरोली तहसील कठूमर।
11. रामेश्वर पि0 हरिकिशन जाति माली निवासी डौरोली तहसील कठूमर।
12. किरन देई पुत्री हरिकिशन जाति माली निवासी डौरोली तहसील कठूमर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नदबई।

—असल प्रतिवादीगण

14. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा थून जरिये शाखा प्रबंधक।
15. भगवत पि0 सरमन जाति माली निवासी डौरोली तहसील कठूमर।
16. लालाराम पि0 सरमन जाति माली निवासी डौरोली तहसील कठूमर।
17. कलुआ उर्फ मवासी पि. सरमन जाति माली निवासी डौरोली तहसील कठूमर।

उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज.)

। पि0 हीरा जाति माली निवासी डौरोली तहसील कठूमर।
पु. पि. हीरा जाति माली निवासी डौरोली तहसील कठूमर।
राम पि. हीरा जाति माली निवासी डौरोली तहसील कठूमर।
य पुत्र भजन जाति माली निवासी डौरोली तहसील कठूमर।
वंत पि0 सियाराम जाति माली निवासी डौरोली तहसील कठूमर।
नू पि. सियाराम नाबालिग व विलायत माता अतरा वेवा सियाराम जाति माली निवासी ग्राम
म सोखरी तहसील लक्ष्मणगढ।
0 अतरा वेवा सियाराम जाति माली निवासी डौरोली तहसील कठूमर।
बलू पुत्र बाबूलाल जाति माली निवासी डौरोली तहसील कठूमर।
राकेश पुत्र बाबूलाल जाति माली निवासी डौरोली तहसील कठूमर।
सरमन पुत्र बाबूलाल मृतक
27/1 भगवत पुत्र सरमन जाति माली निवासी डौरोली तहसील कठूमर।
27/2 मवासी पुत्र सरमन जाति माली निवासी डौरोली तहसील कठूमर।
27/3 लालाराम पुत्र सरमन जाति माली निवासी डौरोली तहसील कठूमर।
27/4 रामदेवी पुत्री सरमन जाति माली निवासी डौरोली तहसील कठूमर।
27/5 असर्फी पुत्री सरमन जाति माली निवासी डौरोली तहसील कठूमर।
27/6 सुनीता पुत्री सरमन जाति माली निवासी डौरोली तहसील कठूमर।
28. मंगल पुत्र बुद्धी जाति माली निवासी डौरोली तहसील कठूमर।
29. हीरालाल पुत्र बुद्धी जाति माली निवासी डौरोली तहसील कठूमर।
30. भजनलाल पुत्र बुद्धी जाति माली निवासी डौरोली तहसील कठूमर।

— तरतीवी प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री रघुवीरशरण गुप्ता एड0(वादी की ओर से
श्री रामकिशन गुर्जर (प्रतिवादीगण की ओर से)
श्री पृथ्वीराज एडवो0 (प्रतिवादीगण की ओर से)

:: निर्णय :: दावा धारा 88, 89, 188 आर.टी.ए.

वादीगण द्वारा अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकार अधिनियम के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :—

1. यह है कि पक्षकारान मुकदमे में ऐसा कोई सख्श नहीं है, जो दावा के अयोग्य हो सभी पक्षकारान वाद लडने योग्य हैं।
2. यह है कि विवादित आराजी खसरा नं0 170 रकवा 1.42 हैक्टे. वाके ग्राम केसरा तहसील नदबई जिला भरतपुर में स्थित है। इस संदर्भ में नकल जमाबंदी संवत 2069–72 वादपत्र संलग्न है।

उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज.)

के वादीगण एवं तर0 प्रतिवादी संख्या 15 लगायत 30 एक ही पूर्वज बुद्धी पुत्र अंगद न है सजरा वादपत्र पर अंकित है।

कि विवादित आराजी हाल खसरा नं0 170 रकवा 1.42 हैक्टे. नकल मिलान क्षेत्रफल 2060 के अनुसार खसरा नं. 90 रकवा 5 बीघा 12 वि. से बना है तथा खसरा नं0 90 ल मिलान क्षेत्रफल संवत 2028 के अनुसार खसरा नं. 78 मिन 8 बीघा 15 विस्वा से बना

ह है कि साबिक खसरा नं. 78 रकवा 17 बीघा 8 विस्वा के वादीगण तथा तरतीवी तिवादीगण संख्या 15 लगायत 24 के बाबा तथा तर. प्रतिवादीगण संख्या 27 लगायत 30 के पिता बुद्धी पुत्र अंगद की खुदकाश्त की आराजी है तथा नकल जमाबंदी 2010 लगायत 2014 में साबिक खसरा नं0 78 रकवा 17 बीघा 8 विस्वा पर बुद्धी पुत्र नामालुम कौम माली गैर मौरूसी संख्या 01 अंकित है इस प्रकार भरतपुर रेवेन्यू कोड के अनुसार तथा राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 15 के तहत वादीगण एवं तर0 प्रतिवादीगण संख्या 15 लगायत 14 के बाबा व तर. प्रतिवादीगण संख्या 27 लगायत 30 के पिता बुद्धी को उक्त आराजी पर खातेदारी के अधिकार प्राप्त हो चुके है तथा उक्त आराजी पर खातेदार की हैसियत से काबिज काश्त चले आ रहे है, उनकी मृत्यु के बाद वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 15 लगायत 30 को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने कानून के विरूद्ध इसके बाद की जमाबंदी संवत 2014 लगायत 2017 में देवीराम पुत्र नारायण कौम माली गैर मोरूसी गलत तरीके से दर्ज कर दिया है जबकि देवीराम पुत्र नारायण कौम माली ग्राम डौरोली तहसील लक्ष्मणगढ में इस नाम को कोई व्यक्ति नहीं है तथा इसके बाद की जमाबंदी संवत 2022 लगायत 25 में देवीराम पुत्र नारायण की खातेदारी अंकित करके उस पर बकाश्त बुद्धी पुत्र अंगद, गंगोली पुत्र पूरना साकिन डौरोली साकिन डौरोली शिकमी, सा.6 अंकित कर दिया है तथा इसके बाद सैटलमेन्ट विभाग द्वारा साबिक खसरा नं. 78 रकवा 17 बीघा 8 विस्वा के नवीन खसरा नं0 90 रकवा 5 बीघा 12 वि0 तथा 126 रकवा 5 बीघा 11 वि. बनाये गये , उन पर देवीराम पुत्र नारायण कौम माली के खातेदारी दर्ज की गई है, परन्तु नकल जमाबंदी संवत 2034 में न्यायालय श्रीमान के आदेश के बगैर देवीराम पुत्र नारायण के स्थान पर उक्त दोनों खसरा नं0 90 व 126 पर देवीराम पुत्र खरगी कानून के विरूद्ध गलत तरीके से दर्ज कर दिया है उसका फायदा उठाकर देवीराम पुत्र खरंगी ने खसरा नं. 126 का विकय पत्र रामरतन पुत्र केरीराम के नाम गलत खातेदारी दर्ज करा दी। जिस पर तर0 प्रतिवादीगण संख्या 27 लगायत 30 ने दावा न्यायालय श्रीमान में पेश करके उक्त खसरा नम्बर पर अपनी खातेदारी अंकित करा ली। जिसका नवीन खसरा नं0 210 रकवा 1.40 पर उनकी खातेदारी दर्ज हो रही है, परन्तु विवादित आराजी खसरा नं0 170 रकवा 1.42 पर असल प्रतिवादीगण की उक्त विवेचना से गलत खातेदारी दर्ज हो रही है। जिसे वादीगण कलमजन कराने का अधिकारी है। जहां तक विवादित आराजी के कब्जे का सवाल है उक्त आराजी पर बुद्धी पुत्र खंगना काबिज चले आ रहे थे तथा उनकी मृत्यु के बाद वादीगण व तर. प्रतिवादीगण काबिज चले आ रहे है

उप खण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज.)

ल प्रतिवादीगण एवं तर. प्रतिवादीगण संख्या 27 लगायत 30 के मध्य विवादित पर झगडा होने के कारण तहसीलदार नदबई को रिसीवर नियुक्त कर दिया है तथा दार नदबई उक्त आराजी की व्यवस्था कर रहा है। इस प्रकार से हम वादीगण त आराजी खसरा नं. 170 रकबा 1.42 हैक्टे. पर वादीगण एवं तर. प्रतिवादीगण खातेदार कार घोषित करा पाने के अधिकारी है तथा रिकॉर्ड में असल प्रतिवादीगण के इन्द्राजात कलमजन कर वादीगण व तर. प्रतिवादीगण खातेदारी दर्ज कराने के अधिकारी है।

ह है कि उक्त विवेचन से विवादित आराजी पर असल प्रतिवादीगण की गलत खातेदारी अंकित हो रही है इसके आधार पर प्रतिवादीगण ने दिनांक 13.07.2018 को आराजी को रहनवय करके खुर्द –बुर्द करने की धमकी दी है कि उक्त उबड–खाबड अकृषि योग्य करने की धमकी दी है। उक्त दी गई धमकी में कामयाब हो गये तो वादी को अजीम क्षति होगी। ऐसी स्थिति में वादीगण असल प्रतिवादी को विवादित आराजी को रहनवय मुन्तकिल न करने हेतु तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु हुक्मइम्तनाई की डिक्री से पाबंद करा पाने का अधिकारी है।

7. अन्त में प्रार्थना की गई कि विवादित आराजी वादपत्र की मद संख्या 02 में अंकित है, के 1/4 हिस्से पर वादीगण संख्या 1 लगायत 3 तथा तर. प्रतिवादीगण संख्या 25, 26 तथा 28 संयुक्त तथा 1/4 हिस्से पर प्रतिवादीगण संख्या 15 लगायत 17 तथा 27 को संयुक्त तथा 1/4 हिस्से पर तर0 प्रतिवादीगण संख्या 18 लगायत 20 तथा 22 लगायत 24 तथा 29 संयुक्त तथा 1/4 हिस्सा पर वादीगण संख्या 4 तथा तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 21 तथा 30 संयुक्त को काबिज खातेदार घोषित किया जावे तथा वर्तमान में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 12 के इन्द्राजात को कलमजन कर उक्त तरीके से वादीगण एवं तर. प्रतिवादीगण की खातेदारी अंकित की जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 को जरिये हुक्मइम्तनाई डिक्री से पाबंद किया जावे कि विवादित आराजी को रहनवय मुन्तकिन न करे एवं रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

8. यह है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 ने वादी को वमुकाम ग्राम तलछेरा तहसील नदबई पर धमकी दी है कि विवादित आराजी पर कब्जा करके रहेगें व वादी को वादी की आराजी से वेदखल करके रहेगें व कब्जा काश्त में दखल करेंगें जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।यदि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 अपनी दी गई धमकी में कामयाब हो गये तो वादी को अजीम क्षति होगी।

अतः श्रीमानजी से प्रार्थना है वादपत्र वादिनी निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे।

(अ) यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 4 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वो विवादित आराजी वर्णित वादपत्र की आराजी में मदाखलत मजाहमत न करें, कब्जा काश्त में दखल न करें तथा वादिनी व तरतीवी प्रतिवादीगण को विवादित आराजी के कब्जाा काश्त में दखल न करें तथा वादी द्वारा बोई गई फसल को जबरदस्ती काट कर न ले जावें।

उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज.)

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब ...। प्रतिवादीगण संख्या 01, 2/1, 2/3, 2/4,3, 6, 8, 9 लगायत 11 की ओर से ... किशन गुर्जर एडवो. उपस्थित एवं प्रतिवादी संख्या 15 लगायत 26 व 28 लगायत 30 ...र से श्री भरतलाल एडवो. उपस्थित एवं प्रतिवादी संख्या 27/1 लगायत 27/6 की ... से श्री पृथ्वी सिंह एडवो. उपस्थित हुए। शेष प्रतिवादीगण के खिलाफ एकतरफा ...र्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1, 3, 6, 8, 9 लगायत 11 व 15 लगायत 30 ...ी ओर से जवाबदावा पेश किये जाने हेतु बार-बार अवसर दिये गये, परन्तु इनकी ओर से जवाबदावा पेश नहीं किया गया। इनका जवाब न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 03.07.2024 को बंद किया जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी नियत की गई।

वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत 2069–72 वाके ग्राम केसरा (प्रदर्श–01), नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 वाके ग्राम केसरा (प्रदर्श–02 एवं 13), नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2028 वाके ग्राम केसरा (प्रदर्श–03, 12), नकल जमाबंदी संवत 2010–2014 वाके ग्राम केसरा (प्रदर्श–04), नकल जमाबंदी संवत 2014–17 वाके ग्राम केसरा (प्रदर्श–05), नकल जमाबंदी संवत 2022–25 वाके ग्राम केसरा (प्रदर्श–06), नकल भू प्रबंध विभाग संवत 2028 वाके ग्राम केसरा (प्रदर्श–07, 14), नकल जमाबंदी संवत 2038–42 वाके ग्राम केसरा (प्रदर्श–08), नकल जमाबंदी संवत 2069–72 वाके ग्राम केसरा (प्रदर्श–09), नकल जमाबंदी संवत 2033 वाके ग्राम केसरा (प्रदर्श–10), नकल जमाबंदी संवत 2073–76 (प्रदर्श–11), नकल जमाबंदी संवत 2034 वाके ग्राम केसरा (प्रदर्श–15), नकल जमाबंदी संवत 2012–2017 वाके ग्राम केसरा (प्रदर्श–16), नकल जमाबंदी संवत 2018 वाके ग्राम केसरा (प्रदर्श–17) एवं मौखिक बयान के रूप में रामदयाल पुत्र मंगल जाति माली निवासी डौरोली तहसील कठूमर, रामरतन सैनी पुत्र भविल जाति माली निवासी डौरोली तहसील कठूमर, मूनीराम पुत्र श्यामलाल जाति माली निवासी डौरोली तहसील कठूमर पेश किये गये। प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य प्रतिवादी के रूप में कोई शपथ–पत्र/बयान पेश नहीं किये गये । पत्रावली बहस में नियत की गई।

हमने वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना गया। वादी के कथन रहे कि विवादित आराजी खसरा नं0 170 रकबा 1.42 हैक्टे. वाके ग्राम केसरा तहसील नदबई जिला भरतपुर में स्थित है। सजरा अनुसार वादीगण एवं तर0 प्रतिवादी संख्या 15 लगायत 30 एक ही पूर्वज बुद्धी पुत्र अंगद की संतान है। विवादित आराजी हाल खसरा नं0 170 रकबा 1. 42 हैक्टे. नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 के अनुसार खसरा नं. 90 रकबा 5 बीघा 12 वि. से बना है तथा खसरा नं0 90 नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2028 के अनुसार खसरा नं. 78 मिन 8 बीघा 15 विस्वा से बना है। साबिक खसरा नं. 78 रकबा 17 बीघा 8 विस्वा के वादीगण तथा तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 15 लगायत 24 के बाबा तथा तर. प्रतिवादीगण संख्या 27 लगायत 30 के पिता बुद्धी पुत्र अंगद की खुदकाश्त की आराजी है तथा नकल जमाबंदी 2010 लगायत 2014 में साबिक खसरा नं0 78 रकबा 17 बीघा 8 विस्वा पर बुद्धी पुत्र...

उप... नदबई भरतपुर (राज.)

कौम माली गैर मौरूसी संख्या 01 अंकित है इस प्रकार भरतपुर रेवेन्यू कोड के तथा राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 15 के तहत वादीगण एवं तर0 प्रतिवादीगण 5 लगायत 14 के बाबा व तर. प्रतिवादीगण संख्या 27 लगायत 30 के पिता बुद्धी को राजी पर खातेदारी के अधिकार प्राप्त हो चुके है तथा उक्त आराजी पर खातेदार की से काबिज काश्त चले आ रहे है, उनकी मृत्यु के बाद वादीगण एवं तरतीवी ोगण संख्या 15 लगायत 30 को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है परन्तु राजस्व रियों ने कानून के विरूद्ध इसके बाद की जमाबंदी संवत 2014 लगायत 2017 में देवीराम ारायण कौम माली गैर मोरूसी गलत तरीके से दर्ज कर दिया है जबकि देवीराम पुत्र ण कौम माली ग्राम डौरोली तहसील लक्ष्मणगढ में इस नाम को कोई व्यक्ति नहीं है तथा बाद की जमाबंदी संवत 2022 लगायत 25 में देवीराम पुत्र नारायण की खातेदारी अंकित उस पर बकाश्त बुद्धी पुत्र अंगद, गंगोली पुत्र पूरना साकिन डौरोली साकिन डौरोली मी, सा.6 अंकित कर दिया है तथा इसके बाद सैटलमेन्ट विभाग द्वारा साबिक खसरा नं. रकवा 17 बीघा 8 विस्वा के नवीन खसरा नं0 90 रकवा 5 बीघा 12 वि0 तथा 126 रकवा बीघा 11 वि. बनाये गये , उन पर देवीराम पुत्र नारायण कौम माली के खातेदारी दर्ज की है, परन्तु नकल जमाबंदी संवत 2034 में न्यायालय श्रीमान के आदेश के बगैर देवीराम पुत्र रायण के स्थान पर उक्त दोनों खसरा नं0 90 व 126 पर देवीराम पुत्र खरगी कानून के रूद्ध गलत तरीके से दर्ज कर दिया है उसका फायदा उठाकर देवीराम पुत्र खरंगी ने खसरा . 126 का विक्रय पत्र रामरतन पुत्र केरीराम के नाम गलत खातेदारी दर्ज करा दी। जिस पर तर0 प्रतिवादीगण संख्या 27 लगायत 30 ने दावा न्यायालय श्रीमान में पेश करके उक्त खसरा नम्बर पर अपनी खातेदारी अंकित करा ली। जिसका नवीन खसरा नं0 210 रकवा 1.40 पर उनकी खातेदारी दर्ज हो रही है, परन्तु विवादित आराजी खसरा नं0 170 रकवा 1.42 पर असल प्रतिवादीगण की उक्त विवेचना से गलत खातेदारी दर्ज हो रही है। जिसे वादीगण कलमजन कराने का अधिकारी है। जहां तक विवादित आराजी के कब्जे का सवाल है उक्त आराजी पर बुद्धी पुत्र खंगना काबिज चले आ रहे थे तथा उनकी मृत्यु के बाद वादीगण व तर. प्रतिवादीगण काबिज चले आ रहे है परन्तु असल प्रतिवादीगण एवं तर. प्रतिवादीगण संख्या 27 लगायत 30 के मध्य विवादित आराजी पर झगडा होने के कारण तहसीलदार नदबई को रिसीवर नियुक्त कर दिया है तथा तहसीलदार नदबई उक्त आराजी की व्यवस्था कर रहा है। इस प्रकार से हम वादीगण विवादित आराजी खसरा नं. 170 रकवा 1.42 हैक्टे. पर वादीगण एवं तर. प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है तथा रिकॉर्ड में असल प्रतिवादीगण के इन्द्राजात को कलमजन कर वादीगण व तर. प्रतिवादीगण खातेदारी दर्ज कराने के अधिकारी है।

उ
नदबई भरतपुर (राज.)

हमने उभयपक्षकारान की बहस को सुना गया। पत्रावली में उपलब्ध साबिक
ा अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया तो पाया कि वादीगण द्वारा
न्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीए के तहत पेश किया गया है। कि विवादित
खसरा नं0 170 रकवा 1.42 हैक्टे. वाके ग्राम केसरा तहसील नदबई जिला भरतपुर में
। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी 2073–76 प्रदर्श–11 पेश की गई। जिसमें
खसरा नं0 170 रकवा 1.42 हैक्टे. पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 12 की खातेदारी
हो रही है, जिस पर वादीगण ने वादपत्र की मद संख्या 03 की अनुसार खातेदारी
ाई है। विवादित आराजी खसरा नं. 170 रकवा 1.42 हैक्टे., नकल मिलान क्षेत्रफल
2060 प्रदर्श–13 के अनुसार साबिक खसरा नं. 90 रकवा 5 बीघा 12 विस्वा से बना है
ाबिक खसरा नं. 90 रकवा 5 बीघा–12 विस्वा नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2028 प्रदर्श
अनुसार 78 रकवा 8 बीघा 15 विस्वा से बना है। वादीगण ने नकल जमाबंदी संवत
लगायत 2014 प्रदर्श 4 पेश की गई जिसमें खसरा नं0 78 रकवा 17 बीघा 8 विस्वा पर
म नं0 5 में बुद्धि पुत्र नामालूम कौम माली साकिन देह गैर मोरूसी संख्या 01 अंकित है।
गण के अभिभाषक ने बताया कि बुद्धि पुत्र नामालूम न होकर बुद्धि का पिता अंगद है।
सकी ताहिद में वादीगण ने नकल जमाबंदी संवत 2012 लगायत 2015 प्रदर्श 01 पेश की
जिसमें बुद्धि बल्द अंगद अंकित है। इसके अलावा वादीगण के मौखिक साक्ष्य में पी.ड्ब्ल्यू.
2, 3 पेश किये है। इनके द्वारा भी स्वीकार किया है कि बुद्धि के पिता अंगद थे। वादीगण
अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में बताया कि संवत 2012 में विवादित आराजी साबिक
खसरा नं. 78 रकवा 17 बीघा 8 विस्वा पर वादीगण के पूर्वजों की गैर मोरूसी अंकित होने
के कारण आरआरडी 1987 पेज 202 हाई कोर्ट ने निर्णित किया कि भरतपुर रेवेन्यू कोड के
अनुसार राजस्थान टीनेन्सी एक्ट सेक्शन 15 के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है।
चुकि हम वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण अपने पूर्वज बुद्धि पुत्र अंगद की संतान है जैसा
की वादपत्र की मद संख्या 03 में सजरा अंकित है। उसकी मृत्यु उपरांत हम वादीगण एवं
तरतीवी प्रतिवादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है एवं उनकी मृत्यु के बाद हम
वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण हिस्से अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। परन्तु नकल
जमाबंदी संवत 2014 प्रदर्श 05 में खसरा नं. 78 रकवा 17 बीघा 8 विस्वा पर देवीराम पुत्र
नारायण जाति माली गैर मोरूसी अंकित कर दिया है तथा इस प्रकार इन्द्राजात जमाबंदी
संवत 2028 प्रदर्श 14 में साबिक खसरा नं. 78 के हाल खसरा नं0 90 पर भी देवीराम पुत्र
नारायण कौम माली की खातेदारी अंकित हो रही है तथा नकल जमाबंदी संवत 2034 में भी
देवीराम पुत्र नारायण कौम माली की खातेदारी अंकित हो रही है जबकि इस नाम का कोई
भी व्यक्ति नहीं है। परन्तु तहसीलदार नदबई ने न्यायालय श्रीमान के आदेश विना
नामान्तकरण संख्या 93 से देवीराम पुत्र नारायण के स्थान पर देवीराम पुत्र खरंगी अंकित कर
दिया है जबकि तहसीलदार नदबई को इस प्रकार का इन्द्राजात करने का कोई अधिकार

उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर (राज.)

। होता है तथा देवीराम पुत्र खरंगी की मृत्यु के बाद प्रतिवादीगण की गलत अंकित हो रही है, जिसे वादीगण कलमजन कराकर अपने वादपत्र अनुसार री इन्द्राजात करा पाने का अधिकारी है तथा इस प्रकार की घोषणा वादीगण के भाषक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी एवं साक्ष्य के आधार पर राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर प्रस्तुत नजीर के अनुसार खातेदारी घोषणा करा पाने का अधिकारी है तथा गलत न्द्राजात काबिल कलमजन के है। वादीगण ने विवादित आराजी पर वर्तमान में कब्जे होने का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, बल्कि वाद पत्र में वादीगण ने स्वयं अंकित किया है कि विवादित आराजी पर कब्जे के संबंध में विवाद उत्पन्न होने के कारण तहसीलदार, नदबई को रिसीवर नियुक्त कर रखा है, ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करना उचित नहीं समझते है। अतः प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः वादीगण का वादपत्र इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि वादीगण एवं तर0 प्रतिवादीगण को वादीगण के वादपत्र की प्रार्थना की मद संख्या (अ) के अनुसार खसरा नं0 170 पर खातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण के नाम हो रहे इन्द्राजातों को कलमजन किया जाता है एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने की रिलीफ खारिज की जाती है।

अतः आदेश है कि कि विवादित आराजी खसरा नं0 170 रकवा 1.42 हैक्टे. वाके ग्राम केसरा तहसील नदबई जिला भरतपुर पर दावा वादीगण आंशिक स्वीकार इस कदर किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नं0 170 रकवा 1.42 हैक्टे. वाके ग्राम केसरा तहसील नदबई के 1/4 हिस्से पर वादीगण संख्या 1 लगायत 3 तथा तर. प्रतिवादी संख्या 25 व 26 तथा 28 संयुक्त को 1/4 हिस्से पर व तर. प्रतिवादी संख्या 15 लगायत 17 एवं 27 को संयुक्त को 1/4 हिस्से पर एवं तर. प्रतिवादीगण संख्या 18 लगायत 20 तथा तर. प्रतिवादी संख्या 22 लगायत 24 व 29 संयुक्त को 1/4 हिस्से पर एवं वादी संख्या 04 तथा तर. प्रतिवादी संख्या 21 तथा 30 संयुक्त को खातेदार घोषित किया जाता है तथा रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 के नाम हो रहे इन्द्राजात को कलमजन किया जाता है एवं वादी द्वारा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने की रिलीफ खारिज की जाती है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30/3/16 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(सचिन यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी नदबई
नदबई भरतपुर (राज०)